न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 55/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार बाडमेर		आयुक्त नगर परिषद् बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 68 RLA Act.

उपस्थिति :– 1. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 22-9.20

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम सोमाणियों की ढाणी पटवार मण्डल जालीपा तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करने बाबत प्रस्तुत आवेदन नगर परिषद् बाडमेर की भूमि के मूल खाता संख्या 457 में से नव सृजित खसरा संख्या 674/457, 675/457, 676/457 व 677/457 कुल रकबा 06.00 बीघा का ऐकीकरण कर नगर परिषद् बाडमेर के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी आयुक्त नगर परिषद् बाडमेर ने नोटिस का जवाब इस आशय का उपलब्ध करवाया कि ग्राम सोमाणियों की ढाणी पटवार मण्डल जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 674/457, 675/457, 676/457 व 677/457 कुल रकबा 06.00 बीघा का ऐकीकरण कर एक खसरा संख्या 674/457 रकबा 06.00 बीघा अंकित कर नगर परिषद् बाडमेर में दर्ज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम सोमाणियों की ढाणी पटवार मण्डल जालीपा तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन बाबत् प्रस्तुत आवेदन नगर परिषद् बाडमेर की भूमि के मूल खाता संख्या 457 में से नव सृजित खसरा संख्या 674/457, 675/457, 676/457 व 677/457 कुल रकबा 06.00 बीघा का खसरा संख्या 674/457 रकबा 06.00 बीघा नगर परिषद् बाडमेर के नाम ऐकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम सोमाणियों की ढाणी पटवार मण्डल जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के मूल खाता संख्या 457 में से नव सृजित खसरा संख्या 674/457, 675/457, 676/457 व 677/457 कुल रकबा 06.00 बीघा का एकीकृत कर तहसीलदार बाउमेर द्वारा प्रस्तावित नया खसरा संख्या 674/457 रकबा 06.00 बीघा नगर परिषद् बाडमेर के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करें।

यह आज तारीख 22-9-20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रशान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 22-9.20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\Segrication\Order 68.docx

Scanned with CamScanner